देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...
जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल
JAWAB DO SARKAR ™
www.jawabdosarkar.com
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल
रेफरेंस संख्या –2022/kdgl/23 E-Newsletter, Issued in Public Interest मंगलवार, 11 अक्तूबर 2022

# रावत मिष्ठान भंडार के मालिकों के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 420,406,409 के तहत वर्ष 2018 से मामला लंबित!!

## बिना जांच पड़ताल,विधायकपुरी थाने ने लगा दी थी एफ.आर.!!!

## परिवादी द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन लगाने पर कोर्ट ने लिया था प्रसंज्ञान!!

## पुलिस की एफ.आर. को कोर्ट ने किया था सिरे से खारिज!!

## साथ ही अभियुक्तगणों को 2000/- रुपये के जमानती वारंट से किया था तलब!!!

## कोर्ट द्वारा वर्ष 2018 मे मामले मे प्रसंज्ञान लेने के बाद पड़ चुकी अनगिनत तारीखे!!

## लेकिन फिर भी पेश नहीं हुए सभी मुलजिमान!!

## 5 साल तक विधायकपुरी पुलिस भी रही कचौरी की खुमारी मे!

## 5 साल तक विधायकपुरी पुलिस नहीं करवा पाई मालिको के वारंट तामील!!

## अंतत: मामले मे 5 साल बीतने के बाद दिनांक 08/09/2022 को सभी मुलजिमों को अरेस्ट वारंट से तलब करने के जारी किए गए आदेश!!

## मीडिया द्वारा मामला उजागर करने पर मुल्जिम पक्ष आए सकते मे!!!

## दिनांक 07/10/2022 को
## मुलजिम भूदेव देवड़ा,अरुणा देवड़ा और आज्ञा देवड़ा हुए कोर्ट मे उपस्थित!!
## समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं समझौता करने की शर्त पर
## कोर्ट ने अगली 17 तारीख को पेश होने के दिए आदेश!

INSIDE STORY

भाग-3

## सबसे बड़ा सवाल?
## क्या सभी मुलजिमों ने पासपोर्ट कार्यालय को दी है
## अपने विरुद्ध दर्ज इस मामले और इस मामले मे जारी
## तमाम सम्मनों,जमानती वारंटों और गिरफ़्तारी वारंटों की जानकारी?

## पासपोर्ट एक्ट 1967 के अनुसार,नए पासपोर्ट और पुराने पासपोर्ट को रि इश्यू करवाने के दौरान
## आवेदक को देनी होती है अपने विरुद्ध दायर तमाम
## मुकदमों,सम्मनों,जमानती वारंटों और गिरफ़्तारी वारंटों की जानकारी!

## ऐसा नहीं करने पर हो सकता है पासपोर्ट रद्द!!
## साथ ही हो सकती है दो साल की सजा और पचास हजार रुपये तक का जुर्माना!!

## क्या है पूरा मामला?

### कर्मचारी का वेतन हड़पने के विरुद्ध विधायकपुरी थाने मे हुआ था मामला दर्ज|

वर्ष 2018 मे परिवादी दयानंद शर्मा द्वारा विधायकपुरी थाने मे एक FIR संख्या 34/2018 भादस धारा 403,406,420,467,468,471,477 ए,120बी दर्ज करवाई गई|अपनी FIR मे परिवादी द्वारा बताया गया कि वह फर्म रावत मिष्ठान भंडार/होटल मे कई सालों से कार्यरत था|दिनांक 12/04/2017 को रात 11.30 बजे आरोपीगण ने केबिन मे बुलाकर उसे दिनांक 13/04/2017 को नौकरी पर आने से मना कर दिया|उसका आरोपी संस्थान पर 5 वर्षों का वेतन,बोनस,ग्रेज्युटी,लीव एनकेशमेंट ,ओवर टाइम आदि बकाया है जो मांगने पर भी उसे नहीं दिया गया|कर्मचारियों से वे खाली वाउचरों पर साईन करा लेते है|उन्होंने संस्थान पर दो वेतन रजिस्टर बना रखे है,एक सरकार को दिखाने के लिए और दूसरा कर्मचारियों को कम वेतन अदा करने के लिए|परिवादी का वेतन 35 हजार रुपये एवं ओवर टाईम वगेरह अलग था|अप्रेल 2013 से उसका वेतन हड़पने की नियत से वेतन और ओवर टाईम का भुगतान नहीं किया गया|इसलिए मुल्जिमान के विरुद्ध अपराध का प्रसंज्ञान लिया जावे|

### सिवल नेचर का बता कर,पुलिस ने लगाई एफआर|

इस मामले मे विधायकपुरी थाने द्वारा एफआर लगा दी गई|उक्त एफआर मे अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि परिवादी का संस्थान पर कोई बकाया नहीं है|आरोपीगण ने नियमानुसार पीएफ का अंशदान मार्च 2017 तक जमा करवाया है|परिवादी का वेतन 19 हजार था जिसका भुगतान नकद किया जाता था|मामला सिवल नेचर का है|

## परिवादी की प्रोटेस्ट पर कोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान|

उपभोक्ता आयोग ने सहारा मामले मे दिया आदेश

वारंट तामील कराने के लिए स्पेशल टीम बनाने के निर्देश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर। राज्य उपभोक्ता आयोग ने सहारा इंडिया के खिलाफ लंबित मामलों में सीईओ सुब्रत रॉय व कंपनी के निदेशकों के खिलाफ जारी जमानती वारंट तामील नहीं होने पर गृह सचिव और पुलिस आयुक्त को अर्द्ध शासकीय पत्र जारी किया है।

आयोग ने दोनों अधिकारियों से जमानती वारंट तामील कराने को कहा, वहीं पुलिस कमिश्नर से कहा कि वारंट की तामील सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल टीम गठित की जाए। आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष अतुल कुमार चटर्जी और सदस्य रामफूल गुर्जर ने यह आदेश दिया। आदेश में कहा कि आयोग के आदेशों की पालना के लिए कई बार डीसीपी साउथ और पुलिस कमिश्नर को अर्द्ध शासकीय पत्र लिखे गए, लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं मिला।

आयोग ने माना कि पुलिस कमिश्नर ने जमानती वारंट तामील कराने में गंभीरता नहीं दिखाई, जिससे उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल पाई।

**ऐसे मामलों मे ढिलाई बरतने पर कोर्ट को बरतनी पड़ती है सख्ती|**

उक्त एफआर के विरुद्ध परिवादी ने प्रोटेस्ट पेश की एवं उसके समर्थन मे अपने बयान लेखबद्ध करवाए|जिसमे उसने बताया कि प्रकरण मे हाजिरी रजिस्टर,भुगतान रजिस्टर,वेतन रजिस्टर आदि कोई दस्तावेज जब्त नहीं किएहै,उसकी बोनस,ओवर टाइम,पीएफ की राशि हड़पी है|परिवादी ने यह भी बताया कि प्रकरण मे संस्थान के सीए के बयान लिए जाते और वेतन रजिस्टर का अवलोकन किया जाता तो सारी स्थिति सामने आती|

इस प्रोटेस्ट पर दिनांक 30/10/2018 को अंतरिम आदेश देते हुए, कोर्ट ने कहा कि परिवादी ने स्पष्ट रूप से अपना वेतन,ओवर टाइम बकाया होने का कथन किया है,जिस बाबत अनुसंधान के दौरान कोई रजिस्टर,बिल वाउचर,प्राप्ति रसीद इत्यादि एकत्रित कर,पत्रावली पे पेश नहीं किए है|परिवादी का वेतन 19 हजार रुपये हो,इस बाबत भी कोई वाउचर पेश नहीं किए गए है|ऐसी स्थिति मे परिवादी के कथनों पर अविश्वास करने का न्यायालय के पास कोई आधार नहीं है|अतः आरोपीगण,जो कि रावत मिष्ठान भंडार/होटल रावत के पार्टनर बताए गए है,उनके द्वारा परिवादी के साथ छल कारित करने एवं मांगे जाने पर भी उसका वेतन एवं अन्य राशि अदा नहीं करने के धारा 420,406,409 भादस के अपराध मे प्रसंज्ञान लेने के प्रथम दृष्टीया पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध होने के कारण समस्त आरोपीगण मैसर्स रावत मिष्ठान भंडार/होटल रावत,चंद्र प्रकाश देवड़ा,श्रीमति अरुणा देवड़ा,भूदेव देवड़ा,आज्ञा देवड़ा के विरुद्ध अपराध अन्तर्गरत धारा 420,406,409 भादस मे प्रसंज्ञान लिया जाता है|पुलिस द्वारा प्रस्तुत एफआर को अस्वीकार किया जाता है|समस्त आरोपियों को अगली तारीख पर 2000/- रुपये के जमानती वारंट से तलब किया जाए|

**कोर्ट द्वारा वर्ष 2018 मे मामले मे प्रसंज्ञान लेने के बाद पड़ चुकी अनगिनत तारीखे!!लेकिन फिर भी पेश नहीं हुए सभी मुलजिमान!!5 साल तक विधायकपुरी पुलिस भी रही कचौरी की खुमारी मे!5 साल तक विधायकपुरी पुलिस नहीं करवा पाई मालिको के वारंट तामील!!अंतत: मामले मे 5 साल बीतने के बाद दिनांक 08/09/2022 को सभी मुलजिमों को अरेस्ट वारंट से तलब करने के जारी किए गए आदेश!!**

आपको बता दें कि वर्ष 2018 मे इस मामले मे कोर्ट द्वारा प्रसंज्ञान लेने के बाद एवं 2000 रुपये के जमानती वारंट से तलब करने के आदेश के बावजूद,तमाम मुल्जिमान कोर्ट मे पेश नहीं हुए|यही नहीं पाँच साल गुजरने के बाद भी समस्त मुल्जिमान कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए,और विधायकपुरी पुलिस भी इन 5 सालों मे मुलजिमों कर विरुद्ध जारी सम्मनों/जमानती वारंटों/गिरफ़्तारी वारंटों की तामिल नहीं करवा पाई|अंतत: कोर्ट को मामले मे 5 साल बीतने के बाद दिनांक 08/09/2022 को सभी मुलजिमों को अरेस्ट वारंट से तलब करने के आदेश जारी करने पड़े|

## मीडिया के दबाव के चलते दिनांक 07/10/2022 को मुलजिम भूदेव देवड़ा,अरुणा देवड़ा और आज्ञा देवड़ा हुए कोर्ट मे उपस्थित!!समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं समझौता करने की शर्त पर कोर्ट ने अगली 17 तारीख को पेश होने के दिए आदेश!

इस मामले को फर्स्ट इंडिया द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित करने पर,सकते मे आए सभी मुल्जिम भूदेव देवड़ा,अरुणा देवड़ा, और आज्ञा देवड़ा दिनांक 07/10/2022 को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए|जिस पर कोर्ट द्वारा अगली तारीख पर कोर्ट द्वारा मांगे गए समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने और परिवादी से समझौता करने की शर्त पर इस मामले की अगली तारीख 17/10/2022 को पुनः प्रस्तुत होने के आदेश दिए|

## सबसे बड़ा सवाल?क्या सभी मुलजिमों ने पासपोर्ट कार्यालय को दी है अपने विरुद्ध दर्ज इस मामले और इस मामले मे जारी तमाम सम्मनों,जमानती वारंटों और गिरफ़्तारी वारंटों की जानकारी?

पासपोर्ट एक्ट 1967 के प्रावधानों के अनुसार  नए पासपोर्ट आवेदन एवं रि-इश्यू पासपोर्ट आवेदन के दौरान प्रत्येक आवेदक को अपने विरुद्ध हुई प्रत्येक कानूनी कार्यवाहियों से संबंधित जानकारियाँ संबंधित फार्म मे देना अनिवार्य है|पासपोर्ट फॉर्म के कॉलम संख्या 7 मे स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि

*7.1.1 Are any proceedings in the respect of an office alleged to have been committed by you pending before a criminal court in India? yes/no*

*7.1.2 Has any warrant or summons for your appearance been issued & pending before a court under any law for the time being in force? yes/no*

*7.1.3 Has a warrant for arrest been issued by a court under any law for the time being in force? yes/no*

*7.1.4 Has an order prohibiting your departure from India been made by any court? yes/no*

जब्त हो सकता है तन्वी सेठ का पासपोर्ट

नोएडा में रहते हुए दिया लखनऊ का पता, सत्यापन में फंसेगा पेंच

नियम ताक पर रख बनाया पासपोर्ट अब साधा मौन

शिवसेना करेगी पासपोर्ट अधिकारी को सम्मानित

लखनऊ में की ड्यूटी

कई मामलों मे पासपोर्ट धारकों द्वारा गलत जानकारी देने पर आवेदकों के पासपोर्ट जब्त/रद्द किए जा चुके है|

इसी प्रकार इस पासपोर्ट फॉर्म के कॉलम संख्या 10, जिसको सेल्फ डिक्लेयरेशन कहा जाता है,मे प्रत्येक आवेदक को यह हलफ़नामा देना पड़ता है कि:-

*I affirm that the information and particulars given by me in this form are true and correct. I further state that I am not suppressing and material information in this regard. I further affirm that the enclosures and documentary proof submitted in support of my application for an Indian passport are authentic and solely pertain to me and I am fully responsible for the accuracy of the same. I am liable to be penalized or prosecuted if found otherwise. I am aware that under the Passport Act,1967 it is criminal offence to furnish any false information or to suppress any material information with a view to obtaining passport or travel document.*

पासपोर्ट एक्ट 1967 के अनुसार यदि कोई झूठी,भ्रामक और अपूर्ण सूचना देकर,पासपोर्ट बनवाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का प्रावधान है,जिसके तहत दो साल की सजा और पचास हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है|

ऐसे मे देखना यह है कि क्या इस मामले मे आरोपियों द्वारा समय पर पासपोर्ट कार्यालय को इन मामलों की जानकारी दी गई है अथवा नहीं|यदि वास्तव मे इन मुल्जिमों द्वारा उक्त समस्त जानकारियाँ छुपा कर,पासपोर्ट बनवाया/रि-इश्यू करवाया गया होगा तो भले ही कोर्ट मे लंबित मामलों मे आपसी समझौता हो जाए,लेकिन पासपोर्ट एक्ट 1967 के प्रावधानों के तहत होने वाली दंडनीय कार्यवाही से बचना इनके लिए नामुमकिन होगा|